अनुवाद

1 सितम्बर, 2006

विभिन्न प्रकार (मानवीय, मशीन की सहायता से, तत्काल आदि) और विभिन्न क्षेत्रों (साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कारोबारी आदि) के अनुवाद की मात्रा बढ़ाना और क्वालिटी सुधारना तत्काल आवश्यक है, जिससे देश भर में ज्ञान को अधिक–से–अधिक सुलभ कराया जा सके। इस समय मौजूद सुविधाएँ अपर्याप्त हैं और सामाजिक अपेक्षा से बहुत कम हैं। अधूरी और अव्यवस्थित सूचना के कारण उस माँग को पूरा नहीं किया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। सूचना की कमी और इस्तेमाल करने वालों के बीच तालमेल के अभाव के कारण बाजार में असफलता मिलती है। इतना ही नहीं, अच्छे किस्म के अनुवाद का पूरे तौर पर प्रसार नहीं हो पा रहा है, जबकि अच्छे किस्म का अनुवाद एक मानदंड प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में अधिकतर निजी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए कुछ हद तक सार्वजनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह हस्तक्षेप स्थाई नहीं होना चाहिए, बल्कि निजी प्रयासों को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाने चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम किस्म के अनुवाद की बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक दृष्टि से व्यावहारिक व्यवस्था करना संभव हो जाए। अनुवाद की गतिविधियों से रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होने की गुँजाइश बहुत अधिक है और इसमें बड़े पैमाने पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को काम मिल सकता है।

इस सोच के आधार पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने डॉक्टर जयती घोष के अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था, जिसका काम अनुवाद, प्रकाशन और प्रसार गतिविधियों में लगे अनेक लोगों और एजेंसियों को एकजुट करना था। इनमें कुछ संबद्ध सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्र और भाषाई विशेषज्ञ, प्रकाशक, शिक्षक और भारत में अनुवाद की गतिविधियों से संबद्ध अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों ने अनेक कार्यशालाओं में हिस्सा लिया और कई बार विचार–विमर्श किया।

उनके कार्य और चर्चाओं के आधार पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है:

1. **देश में अनुवाद को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए बढ़ावा देना –** अन्य देशों के अनुभव को देखते हुए लगता है कि भारत जैसे बहुभाषीय देश में जहाँ विदेशी भाषाओं की अनुवाद के लिए अपार सँभावनाएँ हैं, वहाँ समूचा अनुवाद उद्योग दो लाख से पाँच लाख लोगों को रोजगार दे सकता है।

2. **सूचना का भंडार बनाना –** यह भंडार भारतीय भाषाओं में अनुवाद के सभी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। इसे सर्व–सुलभ कराने के लिए प्रकाशित अनुवादों के बारे में सूचना रखने, उसे लगातार अद्यतन करने; प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुवाद के साधनों/उपकरणों और नए प्रयासों के साथ–साथ राष्ट्रीय अनुवादक रजिस्टर जैसी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए।

3. **अनुवाद अध्ययनों के कागज़ और वेब पर प्रकाशन को बढ़ावा देना –** जितनी अधिक भारतीय भाषाओं में हो सके सैद्धांतिक और अनुप्रयोग से जुड़े विषयों में सभी अनुवाद गतिविधियों के लिए एक क्लीयरिंग हाउस की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. **अनुवाद के लिए विभिन्न साधन तैयार करना और उन्हें बनाए रखना –** इनमें समान्तर शब्दकोश, द्विभाषीय शब्दकोश, जैसे डिजिटल साधन और अनुवाद के लिए सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इसके अलावा मशीन अनुवाद को बढ़ावा देना, और उभरती टैक्नॉलॉजी को अपनाना भी ज़रूरी है ताकि अपेक्षाकृत कम लागत पर तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में अनुवाद कराया जा सके।

5. **अनुवादकों को उत्तम प्रशिक्षण और शिक्षण देना –** छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुवादकों के लिए भाषा शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किए जा सकने वाले कोर्स पैकेज, फेलोशिप कार्यक्रमों और अच्छे विद्यार्थियों को बढ़ावा देने के लिए शोध कार्यक्रमों के जरिए इस काम में मदद मिल सकती है। अनुवाद की विधि में मार्गदर्शन करने और अनुवाद अध्ययनों में शिक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों में सुधार करने वाली गतिविधियाँ चलाने की भी ज़रूरत है।

6. **सभी स्तरों पर शिक्षण सामग्री का अनुवाद (प्राइमरी से लेकर स्नातक स्तर की शिक्षा तक) –** इसमें प्राकृतिक और समाज विज्ञान के विषयों को विशेषतौर से शामिल किया जाना चाहिए।

7. **भारतीय भाषाओं और साहित्य को दक्षिण एशिया और उससे बाहर प्रचारित करना** –यह काम उत्तम किस्म के अनुवाद के माध्यम से किया जा सकता है।

8. **अनुवाद के बारे में एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल स्थापित करना** – इस पोर्टल पर अनुवाद के बारे में सारी सूचना एक जगह मिल सकती है। उसमें ऐसा बुलेटिन बोर्ड बनाया जा सकता है, जिस पर लोग अपनी शंकाएँ दर्ज करा सकें और उनके समाधान भी दे सकें। इस तरह संवाद को बढ़ावा मिलेगा।

9. **अनुवाद के बारे में वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना** – इन सम्मेलनों में अनुवादक, इस उद्योग से जुड़े लोग और विशेषज्ञ हिस्सा लेकर अनुवाद के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों और प्रयासों की समीक्षा कर सकते हैं।

10. **पुस्तक विमोचन, उत्सव, फेलोशिप और पुरस्कार आदि को बढ़ावा देना** – इसके साथ ही सामूहिक अनुवाद कार्य और कई अनुवादकों को एक साथ लेकर लंबी अवधि के प्रोजेक्ट चलाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनुवादकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए, जिसमें वे अपने विचारों और अनुभवों का आदान–प्रदान कर सकें।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना है कि इन लक्ष्यों को यथासंभव, जल्दी–से–जल्दी और कुशलता से हासिल करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) की स्थापना कर सकती है, जो इन कामों को व्यवस्थित ढंग से चला सकेगा। संक्षेप में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन अपने बुनियादे ढाँचे की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटी संस्था के रूप में काम करेगा और उसका संगठन लचीला होगा, लेकिन उसे इतना पर्याप्त बजट दिया जाएगा कि वह निश्चित क्षेत्रों के लिए लक्ष्य आधारित धन का आवंटन कर सके। यह मिशन एक केन्द्रित संगठन के रूप में काम करेगा, लेकिन राज्य और स्थानीय स्तर सहित अनेक स्तरों की भागीदारी आवश्यक होगी और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल भी ज़रूरी होगा। इस बारे में हमारी तात्कालिक ज़रूरतें न सिर्फ अनुवाद की गतिविधियों की दृष्टि से, बल्कि अपेक्षित हस्तक्षेप के स्वरूप की दृष्टि से भी भविष्य की ज़रूरतों से अलग हो सकती हैं। इसलिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को बाजार की मौजूदा और भावी स्थितियों और सामाजिक सच्चाइयों के प्रति लचीला और समझदार रुख अपनाना होगा।

ऐसा प्रस्ताव है कि इन गतिविधियों के संचालन के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना 11वीं योजना में की जा सकती है और पूरी योजना अवधि के लिए उसका प्रस्तावित बजट 250 करोड़ रुपए हो सकता है (लगभग 80 करोड़ रुपए संगठनात्मक लागत, जनशक्ति और वृत्तियों के लिए, और करीब 170 करोड़ रुपए ऐसी अन्य सभी गतिविधियों के लिए, जिनमें अन्य सहयोगी संस्थाओं या पक्षों को धन देना होगा)। 11वीं योजना अवधि के अनुभवों के आधार पर इस बजट समर्थन का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को आवश्यक बुनियादी ढाँचे की रचना और विकास के लिए एकमुश्त समर्थन की आवश्यकता होगी।

इस आशय का प्रस्ताव विचार के लिए योजना आयोग को भेजा गया था। योजना आयोग ने राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के संगठन और ढाँचे के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं।

अनुवाद गतिविधियों को देश की समूची आबादी को अंग्रेजी भाषा सीखने की सुविधाएँ अधिक–से–अधिक सुलभ कराने और प्राइमरी स्तर पर स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने को प्रोत्साहन देने की योजना के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। यह दोनों पहलू ज्ञान की सुलभता बढ़ाने के लक्ष्य से जुड़े हैं।